

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1-2**

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 4000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 40,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 3 से 9**

ग्राम-जर्वे विकास खंड पलारी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु आवर्ती व्यय रूपये 13.58 लाख तथा अनावर्ती व्यय रूपये 5.00 लाख कुल 18.58 लाख तथा ग्राम सरसिंचा/भटगांव विकास खंड बिलाईगढ़ जिला- रायपुर के लिये आवर्ती व्यय रूपये 12.78 लाख तथा अनावर्ती व्यय रूपये 10.00 लाख कुल रूपये 22.78 लाख । कुल व्यय रूपये 41.36 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

**ग्राम-जर्वे विकास खंड पलारी**

| <b>क्रमांक</b> | <b>पदनाम</b>         | <b>पदसंख्या</b> | <b>वेतनमान</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|----------------|
| 1.             | चिकित्सा अधिकारी     | 02              | 8000-13500     |
| 2.             | फार्मासिस्ट ग्रेड-2  | 01              | 3050-4590      |
| 3.             | लंब टेक्नीशियन       | 01              | 4000-6000      |
| 4.             | डेसर                 | 01              | 3050-4590      |
| 5.             | नेत्र सहायक          | 01              | 4000-6000      |
| 6.             | एम.पी.डब्ल्यू. महिला | 01              | 3050-4590      |
| 7.             | स्वीपर               | 01              | 2550-3200      |
| 8.             | आया                  | 01              | 2550-3200      |
| 9.             | भृत्य/वार्ड ब्वाय    | 01              | 2550-3200      |

**ग्राम सरसिंचा/भटगांव विकास खंड बिलाईगढ़**

| <b>क्रमांक</b> | <b>पदनाम</b>        | <b>पदसंख्या</b> | <b>वेतनमान</b> |
|----------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1.             | सहायक शल्य चिकित्सक | 01              | 8000-13500     |
| 2.             | स्टाफ नर्स          | 01              | 4000-6000      |
| 3.             | रेडियोग्राफर        | 01              | 3050-4590      |
| 4.             | चतुर्थ श्रेणी       | 01              | 2550-3200      |
| 5.             | स्वीपर ( अंशकालिक ) | 01              | 1000/-         |
| 6.             | आया                 | 01              | 2550-3200      |

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 41,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 10**

प्रदेश में ग्रामोत्थान कार्यक्रम के अंतर्गत धान एवं अन्य खाद्यान्न दलहन, तिलहन फसलों के उन्नत प्रमाणित बीज कृषकों के सस्ते दर पर प्रदाय करने हेतु राशि रूपये 7.68 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 7,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 11-12**

भारत सरकार द्वारा लघु और सीमान्त कृषकों को सिचाई सुविधा उपलब्ध करवाने की उद्देश्य से स्प्रिंकलर एवं ड्रिप सिचाई योजना अन्तर्गत 40 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है इस योजना में 30 प्रतिशत अनुदान राशि राज्य शासन द्वारा तथा शेष हितग्राहियों द्वारा दी जावेगी । इस योजना के अंतर्गत राज्यांश राशि के लिए राशि रूपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है ।

**मद क्रमांक 13**

राज्य शासन ने विशेष घटक योजनान्तर्गत एक नग टाटा एल.पी.टी. 407 वाहन क्रय का निर्णय लिया गया है। इस पर रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत किया जावेगा। यह नवीन मद का व्यय है।

अतः इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अनुपूरक अनुदान के रूप में किया गया है।

**मद क्रमांक 14**

राज्य शासन ने विशेष घटक योजनान्तर्गत डीजल जनरेटर सेट के क्रय का निर्णय लिया गया है। इस पर रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत किया जावेगा। यह नवीन मद का व्यय है।

अतः इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अनुपूरक अनुदान के रूप में किया गया है।